



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092020-221524  
CG-DL-E-02092020-221524

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2655]  
No. 2655]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2020/भाद्र 11, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2020/BHADRA 11, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

सामान्य आदेश

नई दिल्ली, 02 सितम्बर, 2020

**का.आ. 2986(अ).**— केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के "मात्स्यिकी नौकाओं" से संबंधित भाग 15-क के प्रयोग के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता उन संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों या संबंधित राज्य सरकारों के सचिव को भी प्रयोजनीय होगी जो मात्स्यिकी विभाग के प्रभारी हैं।

[फा.सं. एसआर-19014/1/2009-एमजी,सीएन संख्या 301307]

सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

GENERAL ORDER

New Delhi, the 2nd September, 2020

**S.O. 2986(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby directs that the power, authority or jurisdiction exercisable by the Central Government under sub-section (1) of section 9 of the said Act shall also be exercisable by the Secretary to the Government of the respective States in charge of the Department

---

of Fisheries or by the Administrator of the respective Union territories for the purposes of Part XV A relating to “FISHING BOATS”, of the said Act.

[F. No. SR-19014/1/2009-MG, CN No.301307]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.